न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–45/2016

Sl No date of order of proceeding	Order with Signature of the Court	Office Action taken with date
	आदेश मिथिलेश झा, पे0–स्व0 विजय कान्त झा– आवेदक प्रथम विमलेश झा, पे0–स्व0 विश्वनाथ झा– आवेदक द्वितीय संजय झा, पे0–दिवाकान्त झा (इन्टरवेनर)– आवेदक तृतीय टोला–नावाडीह, अंचल–झाझा, जिला–जमुई। **बनाम** विरेन्द्र झा, पे0–स्व0 टेकनारायण झा– विपक्षी प्रथम मसो0 गीता देवी जौ0–स्व0 सुरेन्द्र झा– विपक्षी द्वितीय देवेन्द्र झा, पे0–स्व0 सुरेन्द्र झा– विपक्षी तृतीय बउना झा, पे0–स्व0 सुरेन्द्र झा– विपक्षी चतुर्थ टोला–नावाडीह, अंचल–झाझा, जिला–जमुई। **अभिलेख उपस्थापित।** विचाराधीन जमाबंदी रद्दीकरण वाद मिथिलेश झा, पे0–स्व0 विजयकान्त झा, टोला–नावाडीह, अंचल–झाझा, जिला–जमुई के आवेदन दिनांक–07.02.2015 के आलोक में कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त वाद में उभयपक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई की गई तथा उभयपक्षों द्वारा अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए बहस की गई तथा अपना लिखित बहस पेश की गई। **वादी (प्रथम पक्ष) का कथन :–(1)** प्रश्नगत भूमि मौजा–नावाडीह, खाता सं0–54 का सर्वे खतियान चन्द्रमोहन झा वगैरह के नाम पर दर्ज है जो आवेदकगण के पूर्वज थे, जिसमें कुल 83 खेसरा दर्ज है तथा कुल रकवा–22 एकड़ है। (2) खतियानी रैयत द्वारा पूर्व में ही 22 एकड़ जमीन में से कुछ जमीन बिक्री कर दिया था तथा 15.39 एकड़ जमीन बची हुई थी। उक्त जमीन का लगान भुगतान नहीं होने के कारण जमींदार द्वारा केश नं0–117/45–46 में निलाम कर दिया गया। (3) नीलामी में विपक्षी के पिता टेकनारायण झा ने प्रश्नगत भूमि खरीद किया। नीलामी के पूर्व ही आवेदकगण के पूर्वजों ने उक्त 15.39 एकड़ में से 8.00 एकड़ जमीन मोती झा वगैरह के पास बिक्री कर दिया था। (4) नीलामी की जानकारी होने के बाद नीलामी आदेश को वापस लेने हेतु खतियानी रैयत एवं खरीददार ने आवेदन दिया, जिसे अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उक्त मामले में आवेदकगण के पूर्वज एवं खरीददार मोती झा तथा विपक्षी के पिता टेकनारायण झा के बीच बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक मोकदमा चलता रहा, जिसमें अंतिम फैसला आवेदकगण के पूर्वज एवं खरीददार मोती झा के पक्ष में ही रहा तथा	

नीलामी को रद्द कर दिया गया। इसी बीच विपक्षी के पिता टेकनारायण झा ने नीलामी वाद सं0–117/45–46 के आधार पर अपने नाम से जमाबंदी सं0–26 कायम करवा लिया।

(5) आवेदकगण के पूर्वजों तथा खरीददार को जानकारी हुई तो आपति दर्ज किया लेकिन जमाबंदी को अंचल कार्यालय द्वारा रद्द नहीं किया गया और टेकनारायण झा का नाम जमाबंदी सं0–26 में बरकरार रहने दिया।

(6) आवेदकगण द्वारा अनेकोबार जमाबंदी नं0–26 में सुधार कर टेकनारायण झा के स्थान पर आवेदकगण के पूर्वज या आवेदकगण का नाम अंकित करने हेतु आवेदन पत्र दिया लेकिन सुधार नहीं किया गया और आवेदकगण एवं आवेदकगण के पूर्वजों से खरीददार मोती झा के नाम से जमाबंदी कायम कर दिया गया।

(7) आवेदकगण द्वारा नीलामी के मोदकमों को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पटना द्वारा अंतिम फैसला आवेदकण के पूर्वज एवं खरीददार मोती झा के पक्ष में हुआ तथा नीलामी के आदेश को रद्द कर दिया गया। इसलिए आवेदकगण का नाम जमाबंदी में दर्ज होना चाहिए।

(8) मोकदमे में अदालत से विपक्षी को नोटिस जारी हुआ लेकिन जानकारी रहने के बावजूद विपक्षीगण हाजिर नहीं हुए तथा एक वाहरी व्यक्ति जो इस मोकदमा में पक्षकार नहीं है जिनका नाम अजय कुमार यादव है, हाजिर हुए तथा आपति किया है। अजय कुमार यादव ने अपने रिज्वाईन्डर में यह कहा है कि सही खाता 54 का 15.39 एकड़ जमीन नीलाम हो गई थी, जिसे टेकनारायण झा ने वर्ष 1946 में खरीद लिया। खरीदने के बाद टेकनारायण झा का दखल–कब्जा हुआ जिसमें 8 एकड़ जमीन मोती झा को 1935 में विक्री कर दिया तथा शेष 7.39 एकड़ जमीन टेकनारायण झा के दखल में रहा, जिसे अंचल अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया।

(9) विपक्षीगण जमाबंदी रैयत टेकनारायण झा के जायज वारिसान है जिसका की लगातार दखल–कब्जा चला आ रहा है।

(10) टेकनारायण झा के पुत्रों द्वारा 15.39 एकड़ में से 10 एकड़ से अधिक जमीनों की बिक्री भी किया गया, जिसपर खरीददार का कब्जा चला आ रहा है तथा अनेको मकान बना हुआ है। उक्त खाता 54 की जमीनों को लेकर आवेदकगण के हिस्सेदार संजय झा वगैरह ने एक दीवानी मोकदमा 11/2017 सबजज प्रथम, जमुई के न्यायालय में किया है, जो लंबित है।

(11) प्रश्नगत खाता सं0–54 की 15.39 एकड़ जमीन नीलाम हो गई थी, जिसे विभिन्न रेवेन्यू अदालतों द्वारा रद्द किया जा चुका है लेकिन विपक्षी द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया।

(12) अंचल कार्यालय के पंजी–2 में गलत ढंग से जमाबंदी सं0–26 टेकनारायण झा के नाम से कायम थी, जो वर्त्तमान में 4471 है, तथा विरेन्द्र झा के नाम से कायम है।

(13) इस मोकदमें में विरेन्द्र झा वगैरह को नोटिस प्राप्त हो

जाने के बावजूद आजतक हाजिर नहीं हुए और न ही कोई आपति पत्र दाखिल किया गया, वैसी स्थिति में आवेदकगण का कथन सही प्रतीत होता है।

आवेदक द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए विपक्षी एवं उनके पूर्वज टेकनारायण झा के नाम से कायम जमाबंदी सं0–26 एवं 4471 को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

इन्टरवेनर (संजय झा) का कथन :–(1) मौजा–महापुर, टोला–नावाडीह, अंचल–झाझा से संबंधित जमाबंदी सं0–26 में दर्ज टेकनारायण झा का नाम रद्द करने तथा पूर्व में दर्ज चानमोहन झा का नाम कायम करने हेतु दाखिल किया गया है।

(2) जमाबंदी खाता 54 के जमीन से संबंधित है

(3) खाता सं0–54 आवेदकगण की खतियानी जमीन है तथा जमाबंदी सं0–54 पूर्व में आवेदकगण के पूर्वज चानमोहन झा के नाम से कायम था।

(4) चानमोहन झा या उनके वंशजों द्वारा खाता सं0–54 की कोई भी जमीन टेकनारायण झा के पास बिक्री नहीं किया लेकिन कर्मचारी को मेल में लेकर टेकनारायण झा ने अपना नाम दर्ज करवा लिया।

(5) खाता सं0–54 की जमीनों को लेकर आवेदकगण के पूर्वज एवं टेकनारायण झा के साथ पूर्व में कई मोकदमा भी हुआ है।

(6) विपक्षीगण टेकनारायण झा के वंशज है लेकिन इस मोकदमें की जानकारी होने के बावजूद आजतक कोई जवाब नहीं दिया है और मालगुजारी रसीद दिखाकर खाता सं0–54 की जमीनों को विभिन्न लोगों के पास बिक्री करते जा रहे है।

(7) विपक्षीगण द्वारा मालगुजारी रसीद दिखाकार खाता सं0–54 की जमीन को बिक्री किये जाने से आवेदकगण को काफी नुकसान हो रहा है।

(8) यह मोकदमा वर्ष 2016 में दाखिल किया गया है लेकिन अदालत द्वारा अभी सुनवाई नहीं किया गया है। इसलिए आवेदक अनुरोध करते है कि जमाबंदी सं0–26 का मालगुजारी रसीद निर्गत करने पर रोक लगाई जाय।

(9) खाता सं0–54 को लेकर सबजज प्रथम, जमुई के न्यायालय में एक दीवानी वाद सं0–11/17 उभयपक्षों के बीच लंबित है, जिसमें विपक्षीगण हाजिर हो चुके है, के निष्पादन होने तक स्थगित रखने का अनुरोध किया गया हैं

विपक्षी (द्वितीय पक्ष) का कथन :–

(1) आवेदक का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से पोषनीय नहीं है।

(2) खाता सं0–54 की जमीन का सर्वे खतियान में रैयत चानमोहन झा, पे0–भैरो झा एक हिस्सा, उमराव झा, रप्पु झा वो चेतन झा, पे0–भतु झा एक हिस्सा वो हुरा झा, वन्धु झा वो प्रभु झा, पे0–खेदू झा एक हिस्सा व हिस्सा बराबर के रूप में दर्ज है।

(3) सिकमी खाता सं0–12, खेसरा सं0–601 वनाम टेकनारायण झा वगैरह के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है, जो सभी सिकमी जगीन बंटाईदार थे, जिसका लगान सर्वे खाता 54 के उक्त खतियानी रैयतों चान मोहन झा वगेरह के नाम लगान कायम था।

(4) सर्वे खतियानी रैयत लगान भुगतान करने में असफल रहे, जिस कारण भूतपूर्व जमींदार ने सर्वे खतियानी रैयत से लगान वसूल करने वास्ते सटिर्फिकेट केस नं0–117/1945–46 दायर किया था। तत्कालीन सर्टिफिकेट अधिकारी ने खाता सं0–54 की सम्पूर्ण 15.39 डी0 जमीन नीलाम कर दिया था जिसे विपक्षी सं0–01 के स्व0 पिता टेकनारायण झा ने नीलामी में खरीदा था, जिसपर टेकनारायण झा का पूर्ण स्वामित्व वो दखल है तथा जमींदारी सिरिस्ता में नाम दर्ज हुआ। टेकनारायण झा नीलामी रकम वो जमींदार को लगान की रकम का भुगतान कर पूर्ण स्वामित्व वो दखल–कब्जा प्राप्त किया। रिटर्न के आधार पर टेकनारायण झा के नाम जमाबंदी सं0–26 कायम की गई, जिसका लगान भुगतान कर रसीद प्राप्त किया करते थे।

(5) नीलामी खरीद के पूर्व खतियान रैयत के उक्त 15.39 एकड़ जमीन में से 8.17 एकड़ जमीन की बिक्री मोती झा वगैरह के पास कर दिया तथा मोती झा वगैरह ने टेकनारायण द्वारा नीलामी खरीदी की गई 15.39 एकड़ जमीन के खिलाफ सर्टिफिकेट ऑफिसर के पास अपना आपत्ति दर्ज किया तथा सर्टिफिकेट पदाधिकारी ने मोती झा की 8.17 एकड़ खरीद की गई जमीन के आलोक में टेक नारायण झा के नीलामी खरीद को निरस्त कर दिया जो वोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पटना तक वहाल रखा गया, जिस कारण टेकनारायण झा के नाम से जमाबंदी सं0–26 में 7.22 एकड़ जमीन बची, जिसपर आजतक पूर्ण स्वामित्व वो दखल रहा है।

(6) खतियानी रैयत चान मोहन झा या सिकमी खतियानी रैयत वगैरह 1945–46 के पूर्व से ही मूल खाता 54 की जमीन से बेसरोकार रहे तथा आजतक बेसरोकार है।

(7) टेकनारायण झा की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र द्वारा कुछ जमीन को बिकी किया जिस कारण वर्तमान में टेकनारायण झा के नाम कायम जमाबंदी सं0–26 में मात्र 5.55 $\frac{1}{2}$ एकड़ जमीन बची हुई है, जिसपर विपक्षी का पूर्ण स्वामित्व वो दखल है।

(8) मूल खतियानी रैयत के वंशज लोग मोती झा के पक्ष में पारित आदेश के विरूद्ध एक दीवानी वाद सं0–11/17 श्रीमान् सबजज प्रथम, जमुई के अदालत में दाखिल किया जो लंबित है।

(9) मूल खतियानी रैयत या सिकमी खतियानी रैयत के नाम से आजतक कभी भी जमाबंदी कायम नहीं की गई।

(10) संजय झा वगैरह श्रीमान सब जज, जमुई के अदालत में दीवानी स्वत्व वाद सं0–11/17 दाखिल कर अपना स्वत्व वो दखल की मांग किया है तथा निषेधाज्ञा आवेदन दाखिल कर इन विपक्षीयों के दखल–कब्जा को स्वीकार किया है। मामला सक्षम दीवानी अदालत में

लंबित है ऐसी परिस्थिति में श्रीमान्द्वारा विपक्षियों की जमाबंदी के संबंध में विपरीत आदेश अवैध है।

(11) आवेदक के अन्य हिस्सेदार मिथिलेश झा वगैरह ने श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के अदालत में दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–53/16 दायर किया है जो लंबित है।

(12) किसी भी पुरानी जमाबंदी को बिना सक्षम दीवानी अदालत के निर्णय वो डिक्री के बिना रद्द नहीं किया जा सकता है।

टेकनारायण झा के नाम कायम पुरानी जमाबंदी सं0–26 को निम्नलिखित मुख्य तथ्यों के आलोक में रद्द नहीं किया जा सकता है :–

(क) जमाबंदी सं0–26 काफी पुरानी है जो सेल सर्टिफिकेट के आधार पर कायम है।

(ख) आवेदक द्वारा सक्षम दीवानी अदालत में स्वत्व वाद सं0–11/17 विपक्षी विरेन्द्र झा वगैरह के खिलाफ दायर किया जो लंबित है उसकी जजमेंट वो डिक्री के बिना जमाबंदी सं0–26 बनाम टेकनारायण झा रद्द नहीं किया जा सकता है।

(ग) आवेदक यह सिद्ध नहीं कर सका कि उनके पूर्वज ने कभी भी नीलामी के खिलाफ कोई मोकदमा नहीं किया बल्कि केवल मोती झा द्वारा मुकदमा किया गया, जिसने 8.17 एकड़ खरीदा था।

(घ) दीवानी मोकदमा सक्षम दीवानी अदालत में लंबित है ऐसी परिस्थिति में राजस्व न्यायालय द्वारा जमाबंदी सं0–26 को रद्द करने का आदेश जल्दवाजी वो अवैध है।

विपक्षीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में नीलामी कागजात/राजस्व रसीद एवं स्वत्व वाद सं0–11/17 की अर्जी की छाया–प्रति संलग्न किया गया है।

<u>विचारणीय बिन्दु :–</u>उभयपक्षों की सुनवाई एवं प्रस्तुत साक्ष्यों से निम्नांकित विचारणीय बिन्दु उभरकर सामने आते है :–

(1) क्या किसी खतियानी जमीन की जमींदारी उन्मूलन के पूर्व नीलाम वाद के तहत पर नीलामी में क्रय के आधार पर कायम की गई जमाबंदी, उक्त नीलाम वाद के वोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक निरस्त कर दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में उक्त जमाबंदी को रद्द किया जाना विधिसम्मत होगा जबकि उक्त भूमि के स्वत्व के संबंध में मामला व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) आवेदकगण के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित नीलामी वाद दिनांक–19.09.1950 को ही वोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा निरस्त कर दिये जाने के बावजूद खतियानी रैयत अथवा उनके वंशजों की जमाबंदी सरकार के सिरिस्ते में क्यों नहीं कायम हुई, के संबंध में तर्कसंगत जबांव नहीं दिये जाने के आलोक में क्या जमींदार उन्मूलन के इतनी वर्षो बाद बिना सक्षम व्यवहार न्यायालय के आदेश के विपक्षीगण के नाम से चल रही पुरानी जमाबंदी को रद्द किया जाना समीचीन होगा।

(3) क्या विपक्षीगण के नाम से पूर्व से चल रही जमाबंदी जिसमें भूमि प्राप्ति का मुख्य आधार नीलामी वाद के अन्तर्गत नीलामी क्रय को

19.09.1950 को ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा निरस्त कर दिये जाने के बावजूद उनकी जमाबंदी को मान्यता दिया जाना समीचीन होगा।

निष्कर्ष :—उभयपक्षों की सुनवाई, प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि झाझा अंचल अन्तर्गत मौजा—महापुर, टोला—नावाडीह, खाता सं0—54 जिसमें कई खेसरा समाहित है, खतियान में चानमोहन झा, पे0—भैरो झा एक हिस्सा, उमरॉव झा वो रूपु झा वो चेतन झा, पेसरान भातु झा एक हिस्सा, पुरो झा वो बंधु झा वो प्रभु झा, पेसरान—खेदू झा एक हिस्सा बहिस्से बराबर के रूप में दर्ज है। वर्ष 1945—46 के पूर्व खतियानी रैयत एवं उनके वंशजों द्वारा उक्त खाता की कई भूमि बिक्री कर दी गई तथा खतियानी रैयत/वंशज के पास 15.39 एकड़ भूमि ही अवशेष रह गई। वर्ष 1945—46 में विपक्षीगण के पिता टेकनारायण झा द्वारा प्रश्नगत खाता 54 की 15.39 एकड़ नीलाम वाद सं0—117/1945—46 के तहत नीलामी में क्रय की गई तथा उनके नाम से जमाबंदी सं0—26 कायम हो गई। उक्त नीलामी के विरूद्ध आपति दर्ज की गई जिसमें सर्टिफिकेट पदाधिकारी के द्वारा दिनांक—01.04.1949 को पारित आदेश के माध्यम से नीलामी को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपर जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर के न्यायालय में अपील दायर किया गया जिसमें सर्टिफिकेट पदाधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए नीलामी को सम्पुष्ट कर दिया गया। उक्त अपील के विरूद्ध आयुक्त महोदय के समक्ष रिविजन अपील सं0—219/1950 दायर की गई जिसमें आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक—26.05.1950 को पारित आदेश द्वारा अपीलीय आदेश को निरस्त करते हुए सर्टिफिकेट पदाधिकारी के आदेश को बहाल कर दिया गया। आयुक्त महोदय उक्त आदेश के विरूद्ध टेकनारायण झा द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा दिनांक—19.09.1950 को पारित आदेश द्वारा आयुक्त महोदय द्वारा रिविजन में पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। पुनः टेकनारायण झा द्वारा मेम्बर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा पारित आदेश दिनांक—19.09.1950 के विरूद्ध रिवीजन याचिका दायर की गई, जिसे दिनांक—09.12.1950 को निरस्त कर दिया गया। उभयपक्षों द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आदेश से अन्यथा किसी सक्षम न्यायालय का आदेश नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट है कि उक्त नीलामी क्रय को निरस्त करने संबंधित सर्टिफिकेट पदाधिकारी का आदेश दिनांक—01.04.1949 वर्त्तमान में भी प्रभावी है। विपक्षीगण द्वारा अपने दावा के संबंध में यह कहा गया कि खतियानी रैयत द्वारा बकाया रकम नहीं दिए जाने के कारण वे अपना स्वत्व एवं दखल नहीं प्राप्त कर सके एवं भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा प्रश्नगत भूमि उन्हें बंदोवस्त कर दी गई तथा एक प्रतिवेदन दिया गया जिसके आधार पर उनकी जमाबंदी सं0—26 कायम हुई तथा उनके वंशज इसके लगातार दखल में चले आ रहे है। विपक्षीगण सुनवाई के क्रम में इसका कोई तर्कसंगत जबाव देने में विफल रहे कि जब खतियानी रैयत की प्रश्नगत भूमि की नीलामी निरस्त कर दी गई तो भूतपूर्व मध्यवर्ती को बंदोवस्ती की शक्ति कैसे प्राप्त हुई । विपक्षी द्वारा भूतपूर्व मध्यवर्ती से बंदोवस्ती प्राप्त होने का कोई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी ने माननीय

उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के पुरानी जमाबंदी को व्यवहार न्यायालय के आदेश से ही रद्द किये जा सकने से संबंधित समय–समय पर निदेश का संदर्भ करते हुए कहा है कि प्रश्नगत मामले में आवेदक के सह–हिस्सेदार संजय झा एवं अन्य द्वारा स्वत्व वाद सं0–11/2017 सब जज प्रथम, जमुई के न्यायालय में दायर करने तथा सम्प्रति विचाराधीन रहने का संदर्भ करते हुए स्वत्व वाद 11/2017 के निष्पादन तक स्थगित रखने का अनुरोध किया गया है। वहीं आवेदकगण सुनवाई के क्रम में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा दिनांक–19.12.1950 को ही अंतिम रूप से नीलामी रद्द करने के आयुक्त महोदय के आदेश बहाल रखने के वाबजूद जमींदारी उन्मूलन के पश्चात अब तक जमाबंदी कायम नहीं होने के संबंध में कोई तर्क संगत जबाव देने में विफल रहे। यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदकगण द्वारा अपनी जमाबंदी कायम करने संबंधित दाखिल–खारिज आवेदन 1428/340 में दिनांक–08.06.2013 को पारित आदेश में अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामला व्यवहार न्यायालय का पाते हुए दाखिल–खारिज आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया एवं संबंधित पक्षों को व्यवहार न्यायालय में जाने की सलाह दी गई। उक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामला में स्वत्व का अत्यंत संशलिष्ट बिन्दु निहित है जिसका निर्धारण सक्षम व्यवहार न्यायालय की अधिकारिता के अधीन आता है। अतः प्रश्नगत मामले में सब जज प्रथम, जमुई के न्यायालय सम्प्रति विचाराधीन स्वत्व वाद 11/2017 में उभयपक्ष जिनका हित प्रश्नगत भूमि में निहित है, पक्षकार बनकर अपना पक्ष रख सकते है तथा माननीय व्यवहार न्यायालय से प्रश्नगत स्वत्व वाद में न्याय निर्णय होने तक विवादित भूमि की कायम जमाबंदी को स्थगित रखने के आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

23/9/19
अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

23/9/19
अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 1470 /रा0, दिनांक 23.09.19

प्रतिलिपि :–उभयपक्षो/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई/अंचल अधिकारी, झाझा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला के बवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/9/19
अपर समाहर्त्ता,
जमुई।